

५/२/१८

पत्रावली पेश हुई। वादी
अधि. उप.। पत्रावली में
साक्ष्य वादी बंद किथे जाते
हैं, एवं वादी अधि. द्वारा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

बताया जाता है की वादी
उप. नही हो रहे है अतः
पत्रावली अचम परवी अचम
दाजिरी खारिज हो, सरुपा
से एक काम हो

